भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2604

05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: वैकल्पिक पोषक तत्वों को बढ़ावा देना

2604. श्री गुरजीत सिंह औजलाः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या डीएपी (डाइ-अमोनियम फॉस्फेट) उर्वरक की कमी ने बुवाई कार्यक्रम और फसल उपज को गंभीर रूप से बाधित किया है और यह पंजाब के किसानों और विशेषकर पंजाब जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों को सीधे प्रभावित कर रही है;

(ख) इस आवर्ती कमी को दूर करने के उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आगामी कृषि मौसमों के लिए कोई व्यापक पूर्वानुमान और मांग-आपूर्ति योजना बनाई गई है;

(घ) पंजाब जैसे राज्यों में और विशेषकर कृषि की व्यस्ततम अवधि के दौरान, खरीद तंत्र और वितरण को किस प्रकार प्राथमिकता दी गई है;

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय आयात या घरेलू उत्पादन में भावी बाधाओं से निपटने के लिए आकस्मिक योजना का ब्यौरा क्या है;

(च) वैकल्पिक पोषक तत्वों को बढ़ावा देने का व्यौरा क्या है और किसानों को शिक्षित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(छ) पंजाब में अमृतसर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए उर्वरक सुरक्षा और विशेष आपूर्ति तंत्र हेतु स्पष्ट रोडमैप का जिलेवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): पंजाब सरकार ने बताया है कि ऐसा कोई रुझान नहीं देखा गया है। वर्तमान खरीफ, 2025 सीज़न के दौरान, पंजाब राज्य में अप्रैल, 2025 से जुलाई, 2025 तक 1.55 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता के मुकाबले डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (डी.ए.पी.) 1.91 लाख मीट्रिक टन (एल.एम.टी.) उपलब्ध थी, जो कि पर्याप्त है।

(ग) और (घ): भारत सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से प्रत्येक फसल सीजन (अर्थात रबी और खरीफ) से पहले यूरिया, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी), कॉम्प्लेक्स और सिंगल सुपर फॉस्फेट

(एसएसपी) उर्वरकों जैसे प्रमुख उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन करती है। फसल सीजन के दौरान उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आंकी गई उर्वरकों की आवश्यकता उर्वरक विभाग को सूचित की जाती है। अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी कर राज्यों को पर्याप्त/समुचित मात्रा में उर्वरक आवंटित करता है और उपलब्धता की निरंतर निगरानी करता है। यह आवश्यकता पहले से नियोजित स्वदेशी उत्पादन और आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। सभी प्रमुख सब्सिडी वाले उर्वरकों की आवाजाही की निगरानी पूरे देश में एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है जिसे एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आई.एफ.एम.एस.) कहा जाता है। हालाँकि, राज्य के अंदर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(ङ) से (छ): भारत सरकार डी.ए.पी. के विकल्प के रूप में ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टी.एस.पी.) और मिश्रित उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। वैकल्पिक उर्वरकों, जैसे ऑर्गेनिक उर्वरक, बायो-उर्वरक, डी-ऑइल्ड केक और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने वाले उर्वरक, नैनो उर्वरक को उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 में इन उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित किया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.) और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर राज्य जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एम.ओ.वी.सी.डी.एन.ई.आर.) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता है। पी.के.वी.वाई. के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, किसानों को जैविक खाद सहित ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक इनपुट्स के लिए डायरेक्ट बेनेफ़िट ट्रांसफ़र के माध्यम से 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन के तहत, किसान उत्पादक संगठन के निर्माण, जैविक इनपुट्स के लिए किसानों को सहायता आदि के लिए 3 वर्षों में 46,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, योजना के अंतर्गत किसानों को ऑफ-फार्म/ऑन-फार्म जैविक इनपुट्स के लिए 32,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें किसानों को डायरेक्ट बेनेफ़िट ट्रांसफ़र के रूप में 15,000 रुपये शामिल हैं।

सरकार बाज़ार विकास सहायता (एम.डी.ए.) योजना कार्यान्वित कर रही है, जिसके अंतर्गत कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स/उर्वरक मार्केटिंग कंपनियों को मिट्टी में कार्बन बढ़ाने वालों जैसे फ़र्मेंटेड जैविक खाद (एफ.ओ.एम.)/लिक्विड फ़र्मेंटेड जैविक खाद (एल.एफ.ओ.एम.) और जैविक उर्वरक अर्थात गैलवनाइज़िंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज़ धन (गोबरधन) पहल के तहत प्लांट्स में निर्मित होने वाले फ़ॉस्फ़ेट युक्त ऑर्गेनिक खाद (पी.आर.ओ.एम.) को बढ़ावा देने के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की सहायता प्रदान की जाती है। दिनांक 23.07.2025 की स्थिति के अनुसार, वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि के लिए 54 करोड़ रुपये की बाज़ार विकास सहायता राशि जारी की जा चुकी है।

पंजाब सरकार ने बताया कि किसानों को वैकल्पिक पोषक तत्वों और उर्वरकों के उपयोग के बारे में नियमित रूप से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षित किया जाता है, जिनमें गाँव, ब्लॉक और ज़िला स्तर पर आयोजित शिविरों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से संचालित जागरूकता अभियान भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना द्वारा किसानों को सर्वोत्तम पद्धतियों और सुझावों के बारे में भी शिक्षित किया जाता है।

*****